



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226113
CG-DL-E-25032021-226113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1231]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1335(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक जेड-33014/45/2020-आरसीएच/भाग.फाइल-3 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की कीमतों का आ 3322(अ) दिनांक 25.09.2020, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी, उन्हे दिनांक 30.09.2021 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है।

2. मूल आदेश का.आ. 3322 (अ) दिनांक 25.09.2020 में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रूप से लागू रहेंगे किन्तु नोट (क) में "31 मार्च 2021 के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो" को 30 सितंबर 2021 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो पढ़ा जाए।

[का. सं. /217/85/2021/एफ/फा. सं. 8(85)/2021/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1335(E).—The prices of ‘Liquid Medical Oxygen (LMO)’ and ‘Oxygen Inhalation (Medicinal gas) in cylinder’ fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 and powers conferred under section 10(2)(l) of Disaster Management Act, 2005 delegated by Ministry of Health and Family Welfare vide Order No. Z-33014/45/2020-RCH/Pt.File-3 dated 23.09.2020, vide notification S.O. 3322(E) dated 25.09.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India are extended upto 30.09.2021 or until further order, whichever is earlier.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 3322(E) dated 25.09.2020 shall remain the same and are applicable except that in Note (a) for the phrase “31st March 2021 or until further orders, whichever is earlier” it is to be read as “30th September 2021 or until further orders, whichever is earlier.”

[PN/217/85/2021/F/F. No. 8(85)/2021/DP/NPPA-Div.-II]

Prasenjit Das, Dy. Director